

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन / पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

जिला:- कुशीनगर

विकास खण्ड:- बतडा

ग्राम पंचायत:- विशुनपुर बुजुर्ग

समिति का प्रकार (एकल) :- एकल

आज दिनांक 19/1/24 को ग्राम पंचायत विशुनपुर के गांव विशुनपुर बुजुर्ग में एक बैठक सम्पादित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए:-

आज की बैठक में ग्राम पंचायत विशुनपुर बुजुर्ग से सम्बन्धित एकल/बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला / SC / ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	<u>गामप्यार कुशवर्ध</u>	<u>9793835254</u>	<u>OBC</u>	<u>40</u>	<u>अध्यक्ष</u>	<u>गामप्यार कुशवर्ध</u>
2	<u>पवन राव</u>	<u>9838660284</u>	<u>GEN</u>	<u>45</u>	<u>सचिव</u>	<u>पवन राव</u>
3	<u>रामवली</u>	<u>7310121871</u>	<u>OBC</u>	<u>28</u>	<u>सदस्य</u>	<u>रामवली</u>
4	<u>सुनील</u>	<u>9695576869</u>	<u>OBC</u>	<u>36</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सुनील</u>
5	<u>शैक</u>	<u>8400767815</u>	<u>OBC</u>	<u>38</u>	<u>सदस्य</u>	<u>शैक</u>
6	<u>गामडाईयाद</u>	<u>9794795154</u>	<u>OBC</u>	<u>37</u>	<u>सदस्य</u>	<u>गामडाईयाद</u>
7	<u>सुरज</u>	<u>8726823519</u>	<u>OBC</u>	<u>45</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सुरज</u>
8	<u>आरती</u>	<u>7390969562</u>	<u>SC</u>	<u>60</u>	<u>सदस्य</u>	<u>आरती</u>
9	<u>मीरा</u>	<u>9151170953</u>	<u>SC</u>	<u>48</u>	<u>सदस्य</u>	<u>मीरा</u>
10	<u>रेनु</u>	<u>9956239587</u>	<u>SC</u>	<u>60</u>	<u>सदस्य</u>	<u>रेनु</u>
11	<u>नीलम</u>	<u>7897806023</u>	<u>SC</u>	<u>50</u>	<u>सदस्य</u>	<u>नीलम</u>
12	<u>कुशवर्ध</u>	<u>7398427892</u>	<u>OBC</u>	<u>38</u>	<u>सदस्य</u>	<u>कुशवर्ध</u>
13	<u>गामदा</u>	<u>6393896648</u>	<u>OBC</u>	<u>40</u>	<u>सदस्य</u>	<u>गामदा</u>
14					<u>सदस्य</u>	
15					<u>सदस्य</u>	
16					<u>सदस्य</u>	
17					<u>सदस्य</u>	

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एफ0एच0टी0सी0 प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियों से दूर स्थित छिट-पुट घरों को भी एफ0एच0टी0सी0 प्राप्त हो।
2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वी0ए0पी0) की तैयारी सुनिश्चित करना।
3. गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
4. केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा यथा- निर्धारित एजेंसियों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं/ सामग्री का प्रापण करना।
5. अतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा-स्थिति 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है।
6. स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतः ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।
8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएँ और उसका रख-रखाव करें, जो नकदी और/या वस्तु और/या श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख-रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
9. पी0आर0ए0 गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
10. जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
11. स्थानीय जल स्रोतों सहित अतः ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।
12. ग्राम पंचायत/ ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
15. एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकॉर्ड रखना।
16. फील्ड जाँच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/ प्रशिक्षित करना।
17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

हस्ताक्षर एवं मोहर  
सचिव  
S.T. D.

महामंत्री  
ग्रामोदय  
ग्राम-देही पो-सिंगडा  
जिला-कुशीनगर

हस्ताक्षर एवं मोहर  
ग्राम प्रधान

आई0एस0ए0 का नाम-ग्रामोदय

आई0एस0ए0 कार्मिक का नाम व मोबाइल नंबर

वि0ख0-खड्डा, कुशीनगर  
ISA-GRAMODAYA, KUSHINAGAR